सहमति बनाने को बुलाई समिति की बैठक

आपसी सहयोग से होगा महोत्सव

कहलगांव | निज प्रतिनिधि

विक्रमशिला महोत्सव के स्वागत की खबर से एक ओर जहां विक्रमशिला क्षेत्रवासियों में मायूसी है तो दूसरी ओर सरकार और जिला प्रशासन से विश्वास डिगने लगा है। विक्रमशिला नागरिक समिति ने 28 फरवरी को कहलगांव में बैठक बुलाई है जिसमें विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक में आपसी सहयोग से भी महोत्सव आयोजन के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

मालूम हो कि पिछले तीन सालों से लगातार महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया है। इस बार चौथे साल भी महोत्सव के अधर में लटकने की संभावना है। वर्ष 2007 से महोत्सव आयोजन की शुरूआत हुई थी। 2008 में महोत्सव का आयोजन नहीं हो पाया था। अंतिम आयोजन अप्रैल 2013 में हुआ था। लेकिन उसके बाद से महोत्सव को चुनाव की आड़ में टाले जाने का सिलसिला चल पड़ा। 2014 में लोकसभा, 2015 में विधान सभा, 2016 में पंचायत चुनाव तथा इस साल एमएलसी चुनाव को लेकर महोत्सव को टाल दिया गया है। महोत्सव को टाले जाने से जनप्रतिनिधि भी नाराज हैं। पूर्व सांसद शहनवाज हुसैन ने सोमवार को बताया कि महोत्सव की तारीख को टाला जाना अनुचित है। सांसद निशिकांत दुबे ने फोन पर बताया कि राष्ट्रपति के प्रतावित कार्यक्रम को लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह में महोत्सव आयोजन का जिला प्रशासन का प्रस्ताव अव्यावहारिक है। विधायक सदानंद सिंह ने कहा कि क्षेत्रवासियों की आपसी सहयोग से महोत्सव का आयोजन करना होगा। वहीं शहर के वैज्ञानिक तथा विदेशों में पर्चम लहराने वाले डॉ. अहमद हुसैन ने आपसी सहयोग से महोत्सव आयोजन में हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। परिषदों के पूर्व विधायक शोभाकांत मंडल ने कहा कि जबतक सड़क खस्ताहाल रहेगी और जाम की समस्या रहेगी तबतक महोत्सव इसी तरह टाला जाता रहेगा।

बैठक 28 को

- सरकार और प्रशासन से लोगों का डिगने लगा विश्वास
- विक्रमशिला नागरिक समिति आगामी दैठक में लेगी फैसला

पूरी तरह नहीं हटा अतिक्रमण

सुलतानगंज। बाथ के असरगंज बाजार स्थित सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व की बैठक में निर्धारित समय सीमा के अंदर महज आधे दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाया गया।

ज्ञातव्य हो कि चौत नौ फरवरी को बाथ थाने की पुलिस एवं स्थानीय दुकानदारों के बीच हुई बैठक में बाँस फरवरी तक स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की बात दुकानदारों द्वारा कही गई थी। थानाध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया कि सभी दुकानदारों को एक बार पुन: चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाएगा। **(नि.सं.)**

स्थापित नहीं स्वयंभू हैं मड़वा के ब्रजलेश्वरनाथ

बिहपुर | तंजय कुमार

अंग प्रदेश का गौरव मड़वा का बजलेस्वरनाथ महादेव स्वयंभू हैं। उन्हें बड़का बाबा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर के पास वाले कुआं का जल चढ़ाने से महादेव भक्तों का हर मनोकामना पूरी करते हैं। यहां महाशिवरात्रि और भादो पूर्णिमा पर भव्य मेला लगता है। यहां पहुंचे शिवभक्तों की बात दुकानदारों द्वारा कही गई थी। थानाध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया कि सभी दुकानदारों को एक बार पुन: चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जाएगा। **(नि.सं.)**

बाबा की कृपा से लड़की की शादी की अड़चनें हो जाती है दूर

बाबा ब्रजलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के आचार्य राजेंद्र दास जी महराज बताते हैं कि सबके गुरु शिव हैं। जो सच्चे मन से भगवान शिव जी भक्ति करता है, उसका कोई अहित नहीं कर सकता। महाशिवरात्रि में बंतलप पर गम सिखकर और चरसों उसका दुध गिरने लगता था। यह बात घरवाले ने गांव के लोगों को बताई। लोगों ने अगले दिन बात सही होने पर कुदाल से उस जगह को खोदने लगे। इसी दौरान कुदाल एक पत्थर से टकराया और कुदाल में खून लग गया। देखा गया तो वहां शिवलिंग था। उसी रात ग्रामीणों को बंतलप बाबा पर अर्पित करें. इससे बाबा प्रसन्न होते हैं। यह भी माना जाता है कि लड़कों के विवाह की अड़चनें दूर हो जाती हैं। बाबा भोले बंतलप, भांग, धतूरा, दूध, गंगाजल चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं।

मंदिर का निर्माण 400 साल पूर्व हुआ था। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। वहीं मड़वा के जिप प्रतिनिधि पवन राय, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील चौधरी, कोषाध्यक्ष मनोरंजन राय, सरपंच प्रतिनिधि फन्दूस चौधरी, सचिव दिलीप गुप्ता बताते हैं कि यहां दूर-दूर से लोग पूजा करने आते हैं।

दुकान जलने से 11 दुकानदार चिंतित

सुलतानगंज। सुलतानगंज के चौक बजार स्थित सब्जी मंडी में रविवार की देर रात दुकान जलने से 11 दुकानदार चिंतित है। लाखों रुपये का सामान जल जाने से अब ये नुकसान की भरपायी के लिए दर-दर भटक रहे हैं। नगर परिषद द्वारा आवेदित इन दुकानों में आग कैसे लगा ये लोगों के समझ से परे है।

सोमवार को पीड़ित दुकानदार महफूज आलम, नशीमा खातून, इकबाल, गफ्फार, मकबूल, शकीला बानी, साम, राजीव गुप्ता, रामानंद गुप्ता, केशव कुमार गुप्ता, चन्द्र शेखर गुप्ता ने थाना एवं अंचल अधिकारी को आवेदन दिया और राहत की मांग की है। **(नि.सं.)**

सूचना

सेन्ट्रल रजिस्टर, सहयोग समितियां, नई दिल्ली के द्वारा बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव फेडरेशन लि. के निदेशक मंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी दिए गए आदेश के अनुपालन में समाचार पत्र, हिन्दुस्तान (बिहार एवं झारखण्ड) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 23.01.2017 को प्रकाशित सूचना के अनुक्रम में फेडरेशन से **सम्बद्ध बंध समितियों** को सूचित किया जाता है कि दिनांक 16.03.2017 **को 10.00 बजे पू.** में होने वाले चुनाव कार्यक्रम (सिडिंयूल) की विस्तृत जानकारी **फेडरेशन मुख्यालय ललित भवन, बेली रोड, पटना, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दिरा प्लेस, हिनू, राँची एवं कैम्प कार्यालय, कैलाश एपार्टमेंट, देवघर** से प्राप्त किया जा सकता है।

निर्वाचन पदाधिकारी
बिहार स्टेट हाउसिंग को-ऑपरेटिव
फेडरेशन लि., पटना (बिहार एवं झारखण्ड)

बिहार सरकार

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय, 7, सचिवालय मोटर मार्ग (गेगलस रोड), बिहार, पटना–800015

बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 से संबंधित आवश्यक सूचना

पटना, दिनांक 13 फरवरी, 2017 ई0।

सभी संबंधित को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 की घोषणा एवं प्रेस नोट निर्गत करने की तिथि निम्नांकित होगी जो इस प्रकार है:–

1	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	(i) गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (ii) गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र (iii) कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र (iv) सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
2	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान परिषद् के गया शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र तथा सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 की घोषणा एवं प्रेस नोट निर्गत करने की तिथि	06.02.2017 (सोमवार)
3	अधिसूचना जारी करने की तिथि	13.02.2017 (सोमवार)
4	नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि	20.02.2017 (सोमवार)
5	नाम संवीक्षा करने की तिथि	21.02.2017 (मंगलवार)
6	अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि	23.02.2017 (गुरूवारीय)
7	मतदान की तिथि	09.03.2017 (गुरूवारीय)
8	मतदान का समय	09.00 बजे पूर्वाह्न से 04.00 बजे अपराह्न तक
9	मतगणना की तिथि	15.03.2017 (बुधवार)
10	वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जायेगा	16.03.2017 (गुरूवार)

(बैजनाथ कुमार सिंह) उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

पी.आर.-13380 (निर्वाचन) 16-17

'' मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी ''

सूको बैंक

अंचल कार्यालय एस. के. तरफदार रोड, आदमपुर, भागलपुर 812001
Phone : 0641-2301752, 2301754, 2301755, 2020000 Fax:0641-2301758, E-Mail:zo.bhagalpur@ucobank.co.in

निरर्थीकरण-कक्षक तथा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फिनांशियल एसेट्स एवं इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अधीन

ई-नीलामी द्वारा बिक्री की सूचना

ई-नीलामी तथा बिड्स की तारीख: 23.03.2017 को 11:00 पूर्वाह्न से 2:00 अपराह्न तक।
ईएमडी एवं दस्तावेजों की जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 17.03.2017 को अपराह्न 3:00 बजे तक।
नीलामी ई-मोर्चाई ई- सेलिंग द्वारा http://ucobank.auctiontiger.net एवं की जायेगी।

जबकि, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांपत्तिक ऋण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) के सपठित नियम लागू की धारा 8(6) के तहत बैंक के उधारकर्ता/गारंटीकर्ता को उनके प्रति देय राशि की मांग करते हुए मांग सूचनायें जारी की थी, जिसमें उधारकर्ता/गारंटीकर्ता को उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर उक्त सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जो कि उधारकर्ता/गारंटीकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 एवं 9 के अधीन बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। निम्नांकित संपत्ति के विवरण का विवरण बैंक के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई संपत्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी द्वारा बोलियों को आमंत्रित करने के लिए किया जाएगा। नीलामी की तारीख को 02:00 बजे अपराह्न तक सभी देय राशि भुगतान होने पर नीलामी रद्द कर दी जाएगी।

ज्ञात संपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	शाखा का नाम कार्यालय / जमाकर्ता / अधिकारों की का नाम	संपत्ति का मालिक का नाम एवं विवरण	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया राशि (रुपये में)	आरक्षित मूल्य / आधार शुल्क/ बिड वृद्धि राशि	डिमांड नोटिस की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि
1	शाखा : इस्लामपुर श्री अनन्त अंबेडकर पुत्र श्री. डोबीराम अंबेडकर के पास मौजा- खुदा, थाना नं.- 440 खाता नं.- 1427/379, खेसरा नं.- 332/256, एरिया- 15 डिसमिल, जिला- बांका, थाना- रजौन एवं उप जबरदा तथा उक्त संपत्ति, सीमित निबंधन व्यवस्थित, पत्रांक- रजौन/बैंक/2016/ के अनुसार बिक्री परिपत्र- शर्तों के अधीन परिवर्णनानुसार	रु. 3,41,764/- + ब्याज + अन्य खर्च	6.30 Lac 63 Lac 10000/-	24.06.2016 30.03.2016
2	शाखा : कटोरिया श्री रामाशंकर यादव, पिता- श्री भागल यादव तथा स्वर्गीय गंगा - श्री कामदेव यादव, कटोरिया, जिला- बांका	भूमि व भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग श्री उपरोक्त नाम से, श्री बालेश्वर कुमार, श्री कामदेव यादव के पास मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, खाता नं.- 2196 एवं 1644, खेसरा नं.- 2286/1102, क्षेत्र फल में- 3.043, डेसिमल- 3.25 पर, जिला- बांका, थाना- रजौन- वर्ष सुरक्षित भी, जिला- बांका, उप- पोस्ट, पुलिस- थाना, मुख- पोस्ट, पुलिस- भी अन्यत्र भी/सभी	रु. 2,05,871.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	10 Lac 1 Lac 10000/-	23.06.2016 29.12.2016
3	शाखा : कटोरिया पो. भालुका भंडारी, पिता- श्री कुलका भंडारी पोस्ट गांव- धौरीमारा, पो.- तारमोहरा, जिला- बांका	भूमि व भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग श्री, कालू भंडारी के पास मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, खाता नं.- 516 एवं 154, खेसरा नं.- 5786/1102, क्षेत्र फल में- 1.0242, एकड़ में- 109, डेसिमल- 7.00 डिसमिल, जिला- बांका, पोलिस- थाना- भी डाकघर- कटोरिया, मौजा- कटोरिया, पुलिस- जिला बांका	रु. 2,73,497.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	12.60 Lac 1.26 Lac 10000/-	30.06.2016 29.12.2016
4	शाखा : कटोरिया श्री हरिश कापरि, पिता- श्री मंगेश्वरी यादव एवं पत्नी- श्रीमती अविनाश, जिला- बांका	भूमि व भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग के सीमा मौजा- रेहरा, थाना- कटोरिया खाता नं.- 1284/33, खेसरा नं.- 2337/1307 क्षेत्र फल- 4.0144, एकड़ में - 1.00 डिसमिल, जिला- बांका, पोलिस- थाना- भी डाकघर- कटोरिया, मौजा- कटोरिया, पुलिस- जिला बांका	रु. 7,21,154.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	12.5 Lac 1.25Lac 10000/-	14.06.2016 29.12.2016
5	शाखा : कटोरिया श्री अनिता पासवान, पिता- श्री विश्वनाथ यादव पत्नी - श्रीमती पासवान, पो.- कटोरिया, जिला- बांका	भूमि व भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग श्री श्रीमती गंगा के नाम मौजा- कोनैली, थाना- कटोरिया, खाता नं.- 51 एवं 7, खेसरा नं.- 1286, 1249 एवं 1255, सेलमेंट नं.- 2370, थाना नं.- 104, वेलमार्क- 1.03 डिसमिल, जिला- बांका, पोस्टऑ- ग्राम- जिला, पुलिस- भी पास्ट ग्राम- 1268, पुलिस- भी अन्यत्र स्थानों	रु. 5,13,552.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	.46 Lac .045 Lac 10000/-	09.06.2016 29.12.2016
6	शाखा : कटोरिया श्री दुखरन यादव, पिता- श्री भैनु यादव, ग्राम- ग्राम- डुमरकुंभ, पो.- कटोरिया, जिला- बांका	भूमि व भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग श्री भैनु यादव के पास मौजा- कटोरिया थाना- कटोरिया, खाता नं.- 1284/65, खेसरा नं.- 445 क्षेत्रफल में - 3.46 डिसमिल, जिला- बांका, पोस्टऑ- ग्राम- भी राजा पासवान, पुलिस- भी अन्यत्र स्थानों	रु. 6,74,219.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	12.60 Lac 1.26 Lac 10000/-	09.06.2016 29.12.2016
7	शाखा : कटोरिया श्री सतेंद्र कुमार, पिता- श्री फालकुकुर मंडल, ग्राम- ग्राम- देवरा सेहर, कटोरिया, जिला- बांका	भूमि व भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग श्री फालकुकुर मंडल के पास मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, खाता नं.- 402/745, खेसरा नं.- 2617/1581, 1615/1591, 2582, 2582/1523, 1589/2 क्षेत्र फल- 1.6952, डेसिमल- 4 डिसमिल, आयर :- 130, जिला- बांका, पोस्टऑ- ग्राम- भी कुरुंबेरी, पुलिस- भी अन्यत्र स्थानों	रु. 1,86,899.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	16.30 Lac 1.63 Lac 10000/-	09.06.2016 29.12.2016
8	शाखा : कटोरिया श्री रौनक पासवान, पिता- श्री शत्रुघ्न पासवान, ग्राम - ग्राम- बसावरिया, पो. - रामदासपल्ला, जिला- बांका	भूमि व भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग श्रीमोहन पासवान के पास मौजा- धौरया, थाना- कटोरिया, खाता नं.-02, खेसरा नं.- 450/1126 क्षेत्र फल- 0.19161, डेसिमल- 11.12.1984, सेलमेन्ट- 3 डिसमिल, थाना नं.- 200/60, जिला- बांका, पोस्टऑ- ग्राम- बी.डब्लयू.डी. सेंट, पुलिस- भी सरन थाने, पुरब- जमदार नं.- 452, पश्चिम- जिन	रु. 3,96,304.00/- + ब्याज + अन्य खर्च	1 Lac 10 Lac 10000/-	09.06.2016 29.12.2016
9	शाखा : कटोरिया श्री लोमश कुमार भारतीय, पिता- श्री पुरुषोत्तम भारतीय, ग्राम- ग्राम- कटोरिया, जिला- बांका	1. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 42 डिसमिल, खाता नं.- 342 (पुराना), खेसरा नं.- 1814/736, चौत डीप नं.- 1743 थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खेसरा नं.- 1816 (नया), दक्षिण- रविन्द्र कुमार मुक्त, पुरब- खेसरा नं.- 1810 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1803 (नया)। 2. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 75 डिसमिल, खाता नं.- 319 (पुराना), खेसरा नं.- 1815, 1845 1840, 1839, 1833, 1834/740, थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खेसरा नं.- 743 से 747 (पुराना), देवकमल- खेसरा नं.- 1857, 1853, 1854 (नया), पुरब- खेसरा नं.- 804 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1815 (नया)। 3. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 44 डिसमिल, खाता नं.- 296 (पुराना), खेसरा नं.- 1835, 1842, 1843, 1836/749, थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खेसरा नं.- 743 से 747 (पुराना), पश्चिम- खेसरा नं.- 1852, 1853, 1854 (नया), पुरब- खेसरा नं.- 1844 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1810 (नया)। 4. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 70 डिसमिल, खाता नं.- 316 (पुराना), खेसरा नं.- 1836, 1837, 1844, 1845/750, थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खेसरा नं.- 743 से 747 (पुराना), पश्चिम- खेसरा नं.- 1852, 1853, 1854 (नया), पुरब- खेसरा नं.- 1844 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1810 (नया)। 5. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 68 डिसमिल, खाता नं.- 328 (पुराना), खेसरा नं.- 1840, 1847, 1848/751 (नया), थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खेसरा नं.- 743 से 747 (पुराना), पश्चिम- खेसरा नं.- 1852, 1853, 1854 (नया), पुरब- खेसरा नं.- 1844 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1810 (नया)। 6. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 71 डिसमिल, खाता नं.- 292 (पुराना), खेसरा नं. 1846, 1850/752 (नया), थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खेसरा नं.- 743 से 747 (पुराना), पश्चिम- खेसरा नं.- 1852, 1853, 1854 (नया), पुरब- खेसरा नं.- 1844 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1810 (नया)। 7. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 31 डिसमिल, खाता नं.- 322 (पुराना), खेसरा नं.- 1819/747 (नया), थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- मुगल देअरा, पश्चिम- खेसरा नं.- 743 से 751 (पुराना), पुरब- खेसरा नं.- 1828 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1814 (नया)। 8. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 41 डिसमिल, खाता नं.- 262 (पुराना), खेसरा नं.- 1820, 1831 एवं 1832/744 (नया), थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- हरिदेव कोनरी, पश्चिम- खेसरा नं. 748 से 751 (पुराना), पुरब- खेसरा नं. 1828 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.1814 नया 9. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 41 डिसमिल, खाता नं.- 256 (पुराना), खेसरा नं.- 1821/745 (नया), थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खुरेन कोनरी पश्चिम- खेसरा नं.- 743 से 751 (पुराना), पुरब- खेसरा नं.- 1828 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1814 (नया)। 10. भूमि व भवन के स्थावरित पार्सल के सभी भाग पुरुषोत्तम भारतीय के पास देवकमल- 41 डिसमिल, खाता नं.- 285 (पुराना), खेसरा नं.- 1820/1831/743 (नया), थाना नं.- 130, मौजा- कटोरिया, थाना- कटोरिया, जिला- बांका, पोस्टऑ- उत्तर- खुरेन कोनरी, पश्चिम- खेसरा नं.- 748 से 751 (पुराना), पुरब- खेसरा नं.- 1828 (नया), पश्चिम- खेसरा नं.- 1814 (नया)			
10	शाखा : लोकपुर श्री सोनलाल साह, पिता श्री चोपू साह, साह- सरवा, पो.- लिखरी, जिला- भागलपुर	भूमि और भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग- श्री सोनलाल साह, मौजा-सरवा- 3.25 डिसमिल, खाता नं.- 179, खेसरा सं.- 345, थाना सं.- 104, मौजा- सरवा, थाना- भागलपुर पोस्टऑ - सरवा- श्री आशुतोष साह, पश्चिम- श्री सोनलाल साह, पूरब- श्री राजू मंडल एवं अन्य, पश्चिम- श्री आनंद सिंगारी	रु. 1,41,347/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	9.00Lac .90Lac 10000/-	24.06.2016 10.01.2017
11	शाखा : शंभुनगर मेसर्स पावर ज्यूल सेंटर, पो. श्री सत्यीय कुमार सिंह 'शाम'-पो.- शंभुनगर, जिला- बांका	भूमि और भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग- श्री राजीव कुमार सिंह, बकाश्त- 38 डिसमिल, खाता नं. 85, खसरा नं. 105 एवं 104, मोगडीह नं. 5638, दिनांक- 22.04.2016, दाग नं.- 19, मौजा- केशापुर कुमर, थाना- शंभुनगर, जिला- बांका, पोस्टऑ - उत्तर- शरवा, पश्चिम- शरवा, पूरब- उत्तरी पश्चिमा- शरवा	रु. 29,93,926/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	13Lac 1.3 Lac 10000/-	30.09.2016 23.11.2016
12	शाखा : शंभुनगर मेसर्स पंचाली ज्वालु भंडार, पो. श्री सुबोध साह जिला बस, ग्राम+पो.- शंभुनगर, जिला- बांका	भूमि और भवन के समस्थित पार्सल के सभी भाग- श्री सुबोध साह, पिता स्व. हेदी प्रसाद साह, खेसरा-5 डिसमिल, तौजी नं. 4950, खाता नं. 66/16, खेसरा नं. 1257/104, सेल डीड नं.- 11910, दिनांक 10.07.1995, थाना नं. 46, मौजा- शंभुपुर, थाना- शंभुनगर, जिला- बांका, पोस्टऑ : उत्तर- श्री नारायण ठाकुर पत्नी श्री दिलीप मंडल, पश्चिम- श्री नागेश्वर प्रसाद पाल, पूरब- साह, पश्चिम- मोगेश्वर साह	रु. 2,25,640/- + ब्याज एवं अन्य खर्च	6 Lac .60 Lac 10000/-	01.10.2016 23.11.2016

नियम एवं शर्तें

1. संपत्ति "जैसे है जहां है आधार, जो कुछ भी साधन आधार, जो भी है के आधार पर, बिना समझ के आधार पर" पर बेची जाएगी, कार्पोरेट जैसे सदाम छूटती, पंजीकरण शुल्क जैसे हतु नियमानुसार लागू देयकर्म में। प्राधिकृत अधिकारी/बैंक किसी के 'आंशिक संबंध के संबंध में किसी प्रकार, दावा, भार, सम्पत्ति पर, शासन या किसी अन्य को अन्य प्रकाश हेतु 'जवाबदार नहीं होगा। प्रतिभूत अधिकारी बिना कोई प्रकाश जमानत/बोली को भी रद्द, कि अंश बोली को स्वीकार या अस्वीकार की जिम्मेवारी को स्वीकार, टाल सकते का उन्हें पास अधिकार है। इस मामले में बैंक के पास कोई अपील नया नहीं होगा।
2. ग्राहकर शर्तें (बाद मुकाम) हेतु मोर्च विंडिंग खुले (एसोर्ट सत्वर-9 में) जो उक्त भुगतान के प्रकाश के साथ "के ये कम्प्रेस्ड" संशोधित भुगतकर पृथक-पृथक डिमाण्ड के प्रभाव और बोलबाई पुस्तिका एवंबाध सेवक दस्तावेज के लिए पूर्व जारी आवाहित है। 17.03.17 को अप. 3.00 बजे के उसके बाद बोली लोसल अधिक्रम, तकनी बैंक, एस. के. नगरकर मार्ग, अशोकपुर, भागलपुर-812001 के पास पर अवश्य पहुँच जाने चाहिए।
3. लोकप्रभा/बोली प्रेक्षपत्र : https://ucobank.auctiontiger.net पर "" अंश सपाक्त हरिकब्जीमाक्ष बोलीदाँ" के 'वीए.डी. होगी। बैंक सेवा प्रकाश यानी मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीस लि., अहमदाबाद, संपर्क व्यक्ति : सुश्री ममी सावन 07940230826, तिकित व्यवस्थापक, सोपाल्पम नम्बर: 8877919222. एवं दी विवाल तिवारी 09879969111 (व्यापक में. 079-40230826/827/825/811/810/800, ई-मेल आईडी : **bihar@auctiontiger.net, rikin@auctiontiger.net, vishal@auctiontiger.net एवं support@auctiontiger.net)** की सेवाओं को संलग्न करेंगे।
4. पैसा जमाकी प्रोक्योर ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीस लि. अहमदाबाद, क्रेडेंशली/बोलीदाताओं को दिया खाता के इंटरनेट पर आवेदन फोर्म की शुरूआत से पहले सभी अधिकार पुस्तिका एवं सचालना प्रदान करेंगे।
5. संपत्ति का निरीक्षण 10.03.2017 को पूर्वा. 11.00 बजे और अप. 4.00 बजे के बीच किया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति प्राधिकृत पदाधिकारी से सुबोध शेखर, सी. पी. 09477922202, शाखा प्रबंधक (1) शंभुनगर शाखा- श्री संतोष कुमार सिंह, मोबाइल नं.-9835875640, (2) मोतीपुर शाखा- सुश्री चैताली रजा, मोबाइल नं.- 9934190831 (3) कटोरिया शाखा- श्री आमोद कुमार, मोबाइल नं.: 09507052611 प्रविष्ट के मुकाबला टेक्निक के लिए संपर्क कर सकते हैं।
6. बोलीदाता रु. 10,000/- (दस एवं हजार मात्र) के भुगतान में अपने धरनाओं को भुगतान करेंगे।
7. असफल पर्ने के अलावा बिना व शर्तें बोलियों पुस्तिका में लिखित है।
8. उच्चतम बोली, प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन की शर्त पर होगी।
9. जमा सर्वोच्च राशि (दीजाती) विदित रहने में असटीफेक्टर/एसईएसटी/ फोर्ट ट्रांसफर के 'लिए जमा की जानी चाहिए, जिसका विवरण निम्नानुसार है : खाते का नाम: भालु खाता, बाकार, बैंकर्स, बैंक : यूको बैंक, शाखा: भागलपुर, खाता नं. 21430210000309, आईएफएससी कोड: UCBA0001743, बैंक का नाम: **यूको बैंक, शाखा: विसकोमाउंटी।**
10. नीलामी के समापन के बाद सफल क्रेताओं को कुल बिक्री मूल्य का 25% (भुगतान हुएजमा राशि को छोड़कर) जमा करना है और शेष 75% 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा अन्यथा बैंक क्रेता द्वारा पहले से जमा/भुगतान हुई राशि अथवा बैंक देगी। भुगतान में चूक के मामले में प्राधिकृत अधिकारी/प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता के स्वविवेक पर प्रोपर्टी फिर से संपत्ति पुनर्रे पुनर्लाभ योगीकृत को बेचने जाने के पुरु. बेचा जाए और पुनर्सपत्ति क्रेता के खाने बोली जमा नहीं होगा। यह उपरोक्त शर्तें के अनुबंधों/समझौतों/प्रस्तावकर्ताओं को अधिकारण के प्रावधानों के अनुरूप 30 दिनों की अवधियों सूचना भी है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि अगर परिसंपत्ति के एवज में उक्त दिनांक तक हिसाब का बिक्री/वसूली की तारीख, जो लिए अगर इच्छुक है तो निर्धारित नीलामी के पहले अगर निर्देश प्रस्तावपूरा करने का सुझाव करें।

सिक्यूरिटाइजेशन तथा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फिनांशियल एसेट्स एवं इनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के प्रावधान 30 दिन की सांविधिक बिक्री सूचना

आमतौर/जनसाधारण के मुद्रानाम सूचना दी जाती है कि मे नीलामी की तिथि के पहले उल्लेखितअनुसार निर्दिष्ट कुल राशि को जमा नहीं अन्यथा उस संपत्ति को नीलामी की कार्यवाही और अगर कुछ शेष रहता है तो उसके वसूली लोगों के लिए व्यवहार एवं लागत वसूल किया जाएगा।

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

दिनांक : 20.02.2017, स्थान : भागलपुर

प्राधिकृत पदाधिकारी : यूको बैंक, अंचल कार्यालय, भागलपुर